

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बरदहसोनहरा हत्याकांड के तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन आज दिनांक 02.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह उ0नि0 शमशाद अली व का0 विजय प्रकाश कुशवाहा, का0 आनन्द चौरसिया, का0 सुरेन्द्र शर्मा, म0का0 कविता मेहरोत्रा के थाना हाजा से रवाना होकर विवेचनात्मक कार्यवाही में मशरूफ रहकर ग्राम सोनहरा में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में लगे का0 बृजेश गौड व का0 अमित कुमार चौरसिया को भी हमराह लेकर मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट में नामजद अभियुक्तगण के घर बारी-बारी दबिश दी गई लेकिन अभियुक्तगण घर पर नहीं मिले, तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के आस पास के खेतों में व छिपने के स्थानों पर अभियुक्तगण को तलाश करते हुए ए सरकारी व प्राइवेट वाहनो से मार्टिनगंज की तरफ आ रहा थे कि ग्राम बेलवाना मे जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सोनहरा मे हत्या के मामले मे अभियुक्त शशिकान्त यादव व इन्दल यादव व और लालबहादुर यादव भादों मोड पर किसी सवारी का इन्तजार कर रहे हैं और कहीं बाहर भागने की तैयारी मे है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स के भादों मोड की तरफ आगे बढ़े जैसे ही मोड के पास आये तो बांये तरफ मन्दिर के पास तीन लोग खडे थे जो पुलिस को देखकर हरकत मे आये, शक होने पर तुरन्त आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों को पुलिस बल द्वारा समय करीब 05.30 बजे मन्दिर के पास कारण बताकर हिरासत पुलिस मे लिये गये। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम इन्दल यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया दूसरे ने अपना नाम शशिकान्त यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया व तीसरे ने अपना नाम लालबहादुर यादव पुत्र फेरई यादव नि 0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया उपरोक्त गिरफ्तारशुदा तीनों अभियुक्तगण थाना हाजा के मु 0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट में नामजद तथा वांछित अभियुक्त हैं। मौके पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से मुताबिक एफआईआर के क्रम में घटना में प्रयुक्त डन्डा लाठी के बारे में सूक्ष्म पूछताछ की गई तो तीनों ने एक मुंह बताया कि हमने घटना के बाद अपने अपने डन्डे जितेन्द्र के बराबर वाले गेहूं के खेत में फेंक कर भाग गये थे स्थान चलकर बता सकते हैं घटना के बाद हमलोग इधर उधर छुपे रहे जैसे ही मौका मिला तो हम निकल कर शाहगंज जाने के चक्कर में हम यहां खडे थे कोई सवारी मिलती तो हम निकल जाते कि आप लोगों ने हमे पकड़ लिया। जिन डण्डो से हमने अनिल यादव को मारा था वो डण्डे हम चलकर बरामद करा सकते हैं इस पर मै प्र 0नि0 मय हमराह फोर्स के तथा सरकारी व प्राइवेट वाहन से अभियुक्तगणों को हिरासत मे लेकर अभियुक्त द्वारा बताये स्थान ग्राम सोनहरा पहुचां तो अभियुक्त द्वारा लोचन जायसवाल के खेत के पास गाडी रुकवाई और तीनों ने अपने अपने फेंके हुये डण्डे खेत से उठाकर अपनी निशानदेई पर बरामद कराये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नाम इन्दल यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव
- 2- शशिकान्त यादव पुत्र श्रीराम यादव
- 3- लालबहादुर यादव पुत्र फेरई यादव नि0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

03 अदद लाठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह उ0नि0 शमशाद अली व का0 विजय प्रकाश कुशवाहा, का0 आनन्द चौरसिया, का0 सुरेन्द्र शर्मा, म0का0 कविता मेहरोत्रा के मय वाहन सरकारी न0 यूपी 50 एजी 0425 चालक संतोष सिंह